





"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेडेल फिलिपा

# दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 25 अप्रैल 2024 गुरुवार

## सम्पादकीय

### सेहत का सवाल

भारत जैसे देश में जहां सेवानिवृत्त लोगों व बुजुर्गों के लिये पश्चिमी देशों की तरह चिकित्सा सुविधाओं का कवच नहीं है, वहां लोगों की अंतिम उम्मीद खुद खरीदी गई बीमा पॉलिसियों पर टिक जाती है। लेकिन बीमा कंपनियों के निरंकुश व्यवहार और उपचार के बाद बिलों के भुगतान में किन्तु-परंतु के चलते बुजुर्गों को यह भरोसा नहीं होता कि बीमा कंपनियां उनके उपचार का पूरा पैसा उपलब्ध करा देंगी। बहरहाल, स्वास्थ्य सेवा तंत्र को अधिक समावेशी और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीएआई ने स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले व्यक्तियों के लिये 65 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया है। हाल ही में एक अधिसूचना में बीमा नियामक ने बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे सभी आयु समूहों के लिये उपयोगी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पेश करें। अकसर देखा गया है कि बीमा कंपनियां व एजेंट अधिक उम्र वाले लोगों को तब ही जीवन रक्षक पॉलिसी देने से मना कर देते हैं जब उनको इसकी जरूरत होती है। इतनी ही नहीं कंपनी के हित में बनायी गई पुरानी नीतियों के आधार पर कई दावों को खारिज कर दिया जाता है। बीमा नियामक द्वारा बीमा कंपनियों को पहले से निर्धारित स्थितियों के आधार पर दावों को खारिज करने से रोकना गया है। बीमा नियामक ने कहा है कि बीमाकर्ता अब कैंसर, हृदय रोग व गुर्दे के काम न करने पर, एडस जैसी गंभीर चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को पॉलिसी जारी करने से इनकार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से यह तार्किक स्थिति है कि सेवानिवृत्त के बाद आय के साधन सिमटने, शरीर द्वारा सारा न देने व अपनों का साथ छूटने से लाचार व्यक्ति को उपचार के लिये अब चिकित्सा बीमा कवच मिल सकेगा। निरसंदेह, इस तरह के कई गंभीर रोगों से ग्रस्त लोग चिकित्सा बीमा न मिल पाने की स्थिति में गरीबी की दलदल में फंस जाते हैं। कोरोना संकट के दौरान कई परिवारों के गरीबी के दुश्चक्र में फंसने के मामले सामने आए हैं।

निश्चित रूप से बीमा नियामक की यह पहल वक्त की जरूरत के हिसाब से एक कल्याणकारी व्यवस्था की तरफ बढ़ा कदम है। यदि बुजुर्गों को बीमा सुविधा मिलने लगेगी तो वे अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के झटकों को झेलने के लिये पहले से ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह सुविधा उस देश के लिये बदावलाकारी हो सकती है जहां कि युवा आबादी बुजुर्ग आबादी की दिशा में बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2050 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या देश की कुल आबादी की बीस प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। ऐसे में बेहतर जीवन प्रत्याशा हेतु और महिलाओं की सेहत हेतु स्वास्थ्य बीमा का खासा प्रभाव हो सकता है। लेकिन इस बात में दो राय नहीं कि बीमा उत्पादों को उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की सख्त जरूरत है। दरअसल, आम उपभोक्ता शब्दजाल और बीमा पॉलिसियों की जटिलताओं के कारण बीमा उत्पादों को खरीदने से संकोच करते हैं। कई अस्पष्टताएं व किन्तु-परंतु पॉलिसीधारक के मन में संदेह और अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंबा व जोखिमों के बारे में गलत सूचना या अस्पष्टता जानकारी उपभोक्ताओं के शोषण व परेशानी का सबब बनती है। इसलिए जरूरी है कि प्राहकों का विश्वास हासिल करने के लिये पारदर्शी व परेशानी मुक्त दावा निपटान की व्यवस्था हो। इसके साथ ही बीमा भुगतान से जुड़ी धांधलियों पर अंकुश लगाने के लिए मजबूत तंत्र बनाया जाए। वर्ष 2023 में कार्ययय बीमा कंपनियों में 8 पोखराघड़ी के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। खासकर जीवन और स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में। जिसके नियमन के लिये- झूठे दावे करने, प्रदान की गई सेवाओं के लिये शुल्क बढ़ाने और चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक सेवाओं के लिये बिलिंग करना जैसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जिसके लिये एक कुशल निगरानी तंत्र बनाना भी आवश्यक है। वहीं झूठे दावे करना, प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क बढ़ाना और चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक सेवाओं के लिए बिलिंग करना जैसी गड़बड़ियां पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निगरानी की आवश्यकता है।

# गाय के दूध से अब इंसुलिन दुहने की तैयारी



—मुकुल व्यास—



अनुसूचित रूप से परिवर्तित गाय ने अपने दूध में मानव इंसुलिन के लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन किया है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मवेशियों के झुंड एक दिन दुनिया की इंसुलिन आपूर्ति समस्याओं को हल कर सकते हैं। हालांकि गायों के जरिये इंसुलिन उत्पादन को व्यावसायिक स्तर पर लाने में अभी तक लगेगा। शोधकर्ताओं को मानना है कि गाय-आधारित इंसुलिन वर्तमान इंसुलिन उत्पादन विधियों को मात दे सकती है, जो अनुवैश्विक रूप से संशोधित यीस्ट यानी खमीर और बैक्टीरिया पर निर्भर हैं। दुनिया भर में डायबिटीज के लाखों रोगियों के लिए इंसुलिन तक पहुंच एक निरंतर संघर्ष है।

इंसुलिन फैक्टरी बन सकती है ये खास गायें इंसुलिन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दुनिया के वैज्ञानिक हार्ड-टैक प्रयोगशालाओं के अलावा दूसरे स्रोतों से भी इंसुलिन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का ध्यान अब गायों की तरफ गया है। अनुवैश्विक रूप से संशोधित गायें इंसुलिन फैक्टरी बन सकती हैं। एक नए अध्ययन के

अनुसूचित रूप से परिवर्तित गाय ने अपने दूध में मानव इंसुलिन युक्त दूध का उत्पादन किया है। इस उपलब्धि को अंततः बड़ा कर जीवन-रक्षक दावा की आवश्यकता वाले भी डायबिटीज रोगियों के लिए एक लाभ उत्पन्न कर पार्थाय इंसुलिन का उत्पादन किया जा सकता है। 15-20 करोड़ लोगों को चाहिये इंसुलिन खुशक टायड 1 डायबिटीज रोगियों को जीवित रखने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। कुल टायड 2 डायबिटीज रोगियों को भी इंसुलिन की अनुमानित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में 15 करोड़ से 20 करोड़ लोगों को इंसुलिन की आवश्यकता होगी है। उनमें से केवल आधे का ही इंसुलिन के साथ इलाज किया जा रहा है। कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों और

इंसुलिन का उत्पादन करती है, एक चोका देने वाली मात्रा उत्पन्न कर सकती है। यह मात्रा हजारों इंसुलिन युनिट्स के बराबर है। एक सामान्य डेयरी फार्म के आकार का गायों का एक छोटा झुंड पूरे देश को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन कर सकता है। दुर्भाग्यवश यहाँ में यह मात्रा टायड 1 डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए लगभग आठ साल तक इंसुलिन की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। इस विधि के कई लाभ हैं।

**मौजूदा डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का होगा फायदा**  
जटिल मशीनों और बैक्टीरिया पर निर्भर पारंपरिक तरीकों के विपरीत, गाय-आधारित इंसुलिन उत्पादन मौजूदा डेयरी बुनियादी ढांचे का लाभ उठा सकता है। हालांकि अभी भी कुछ बाधाएँ हैं जिन्हें दूर करना बाकी है। इसके लिए एफडीए का अनुमोदन और एक कुशल शुद्धिकरण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। फिर भी उच्च तकनीक विधियों की तुलना में गाय-आधारित इंसुलिन गुल-वेज हो सकती है।

**शुद्धाती खोज**  
इंसुलिन और डायबिटीज में इसकी भूमिका पहली बार 1921 में खोजी गई थी। साल 1921 में प्रसिद्ध बॉटिंग नामक नैनेडा के एक युवा अब इस प्रक्रिया को परिष्कृत करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य निरालेन का कारीका खोजा। तब उनको इस प्रयोग पर संदेह करने वाले सहकर्मियों का यह नहीं पड़ा कि इस कार्य में वे मिश्रण से एक दिन डायबिटीज से पीड़ित लाखों लोगों को बचाया कि एक गाय, जो प्रति लीटर दूध में केवल एक ग्राम

अध्ययन के मुख्य लेखक मैट थिलर ने कहा कि गाय की स्तन ग्रंथि में प्रोटीन उत्पन्न करने की गजब की काबिलियत है। हम इस प्राकृतिक प्रणाली को कुछ ऐसा बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिससे लाखों लोगों को लाभ हो सके। शोधकर्ता अब इस प्रक्रिया को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ऐसे ट्रांसजेनिक बैल बनाने का है जो इंसुलिन-उत्पादक गुणों को आगे प्रसारित कर सके ताकि इंसुलिन उत्पादन के लिए गायों का एक समर्पित झुंड तैयार किया जा सके। लीलर ने बताया कि एक गाय, जो प्रति लीटर दूध में केवल एक ग्राम

# जलवायु संकट और जीवन रक्षा का खर्च

## —प्रोदिप्ता घोष—

सर्वाधिक न्यायालय ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 14 (मानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन एवं आजादी की सुरक्षा) के दायरे को विस्तार देते हुए स्वतंत्रता के अधिकार या जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों से सुरक्षा की आजादी को मान्यता दी है। सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट हो कि आदिवासी 'अधिकार' का अर्थ क्या है। 'अधिकार' किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किया वह दावा है (जैसे कि महिला, एलजीबीटीक्यूआईईट्यूआई) जिसकी अहमियत इसकी कीमती और फायदों से ऊँची करण होती है। उदाहरणार्थ, एक युवकसकी यह लीला नहीं दे सकती कि किसी विधवा के बड़े हुई बच्चों को सुलझाने में जो वक्त और पैसा लगना यदि वह चोरी हुए माल या धन से अधिक है, तो उसकी शिकवात पर कार्रवाई करने का क्या अभाव है। दूसरा, अधिकार का सामान्यतः फर्ज भी निहित होता है। दुनिया के अधिकार अथवा सरकार का ताकि दावा सही लगे। विभिन्न गैसों के वैश्विक उत्सर्जन, जिसकी ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, इनकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऐसे प्रभाव का चिकित्साशैली मुक्तों के अपने उत्सर्जन से संबंध कम ही है। इनकी सरकारों अपने तौर पर वैश्विक स्तर के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने में कुछ अधिक नहीं कर सकती। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संसम्मति की जरूरत है, इस दिशा में अपेक्षित जल 1992 से ही धीमी है, जब संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनफ्रेमवर्कसीसीसी) नामक प्रस्ताव अपनाया गया था।

यूएनफ्रेमवर्कसीसीसी मानता है कि जलवायु परिवर्तन के कारणों को थामने, उत्सर्जन घटाने और प्रभावों को कम करने में विकसित मुक्तों के पास अधिक क्षमता है, इसे सामान्य किन्तु अंतर लाने वाली जिम्मेवारी नामक सिद्धांत के तौर पर जाना जाता है। परिसर सन्धि-2016 के 8 येशों पर अमल फिलहाल शीतनीय रूप से बहुत कम है, जिसके अंतर्गत वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोतरी रोकथाम सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर बनाए रखनी है। लेकिन यह न होने पर, वास्तविक परातल पर इसके प्रभाव स्वरूप मौसम में तीव्र बदलाव बढने जाते हैं। इन परिस्थितियों में, क्योंकि पर्यावरणीय बदलाव भारत पर भी प्रभाव पड़ रहे हैं और अधिकारः

के मद्देनजर लगता नहीं कि जलवायु परिवर्तन अधिकार का मूल रूप देने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अंश में बढ़ोतरी करने की गुंजाइश है। तथापी, जैसा कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, समस्त संसाधनों का स्तर भी बढेगा। साथ ही, नागरिकों की आय बढने पर, वे जलवायु प्रभाव के परिणामों से बचने की लीला तौर पर अधिक खर्च कर पाएंगे, मसलन, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक खर्च, जल-संचयन और अतिशय आयादों के संदर्भ में भीमा करवाना इत्यादि। कुल मिलाकर, जैसे-जैसे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी वैश्व-वसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से नागरिकों का जोखिम कम होता जाएगा। इस अरसे से मुक्ति पाने में विकास एक चाबी है। कदाचित्त सर्वाधिक न्यायालय के फैसले का मुख्य कारण जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाव करने पर खर्च में टोटोटी की भीमा संभावना को खर्च करना है। सर्वाधिक न्यायालय का फैसला उस यथार्थिक के संदर्भ में आया है जिसमें राखताना और गुजरात में संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन वस्टर्ड (तिलार) फली के अभावग्रण्य थल से होकर गुजरने वाली अभय ऊर्जा की बिजली तारों को जोखिम के नीचे डालना क फेरला देने के खिलाफ अपील लगाई गई थी। ऊंचे खम्भों के माध्यम से लगी बिजली आपूर्ति तारों से टकरा कर बड़ी संख्या में फली मारे जाते हैं। बिजली तारों की टटोली के लिए इसमें बहुत खर्च आया और अत्य ऊर्जा की दर प्रतिस्थानिक नहीं रहेगी।

साफ है, जलवायु सतता का अधिकार और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने में भारत के अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेवारी का निरिक्त रूप हम मामले में परस्पर विरोधाभासी है। इस अभय ऊर्जा की परिपोषणा की क्षति से भारत को परित्त जलवायु संंधि में किए वादे को निभाना और मुश्किल हो जाएगा। और यदि इस योजना को जारी रखें तो संकटग्रस्त फली की प्रजाति को बचाना कठिन हो जाएगा। अदातल का सुझाव है कि इन दोनों विताओं का व्यावहारिक हल निकालने के लिए विशेषज्ञ बनाने करवनाया जाए। यदि रास्ता निकलता है तो बहुत बढिया नती शायद नीति अनुसंधान संस्थान इस मुश्किल कठिनाी का हल निकालने में मददगार हो पाए—लेखक ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान में विशेषज्ञ हैं।

# गरीबी है कि हटती ही नहीं



## —राकेश गांधी—

चुना आते ही गरीबों के चेहरे कुछ समय के लिए प्रसन्नता से खिल उठते हैं, क्योंकि अंतोगत्या पांच साल बाद उन्हें याद जरूर कर लिया जाता है। चुनाव के तत्काल बाद वे गरीब राजनीतिक हटने के नेत्राओं में मानस प्रतिक्रिया से दटो भी जाते हैं। याद आना अच्छी बात है, पर हैदानी इस बात की ही है कि आजादी के साढ़े सात शक बाद भी आदिवासी गरीबी मिट चुकी नहीं रही। यंयों राजनीतिक दलों ने गरीबी हटायों के आनामना इच्छा ज्जुला ना रखे को

गरीबी तो हटती नहीं, पर साल-दर-साल गरीबों का गरीबी में ही जरूर नामोशाना हित जाना निवारण अभी तक भी पुराना पहा रहा है। चुनावी समर चल रहा है। अभी तो इन गरीबों की भी पी बरह है। नेतां गरीब ही इनकी पूजा-अर्चना में मरुपेट खाना पहुंचाने में व्यस्त बच रहे हैं। चुनाव से निपटते ही इन गरीबों को फिर से इन्ही के हाल छोड़ दिया जाएगा। कुल मिलाकर मुसलचोरी की अडाल डालकर इन गरीबों को गरीब ही बनाए रखने और साल-साला इन पर राख करने का सितलिसा बदस्तूर जारी है।

हाल ही में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जारी हुए हैं। जिन-जिन से आगामी पांच साल में गरीबों के भूखे पेट का उपचार करने की बात की जा रही है। इससे ज्यादा तो कुछ छोटी भी नहीं। इस साढ़े सात शक में भी नहीं हो पाया तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है। केवल गरीबी हटाने ही नहीं, हर बार लाखों गरीबों के देहे के वादे भी किए जाते रहे हैं। ये बात अलग है कि पांच साल बाद भी हालातजिन के जता ही रहते हैं और फिर कुलु हो जाता है चुनौतों का दौर। इससे भी दुःख तो ये है कि आजादी के बाद से लोगों को पानी, बिजली, सड़क, उच्च शिक्षा व बेहतर चिकित्सा जैसे बुनियादी सुविधाएं जुटाने के भी वादे किए जाते रहे हैं। इसके उलट आजादी के 77 साल बाद भी देश में ऐसे कई शहर

अनेक अध्ययन दर्शाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करने

अनेक अध्ययन दर्शाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करने







